न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।

वाद सं०-१४१/१३

आरोप

मैं मेराज अहमद,न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।आप सुरेश पर निम्न आरोप लगाता हूं।

प्रथमः-यह कि उपरोक्त दिनांक २१/०४/१२ को समय १०ः१५ बजे दिन वहद स्थान मन्दिर के पास प्रेमनगर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखावाद मे आपने वादिनी मुकदमा फुलमती के पति राजपाल को लण्डी डंडो से मारा पीटा जिससे उसके शरीर पर साधारण चोटे आयी। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द० स० की धारा ३२३ के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे हैं।

द्वितीयः-उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा फुलमती के पति राजपाल को लाठी डंडो से मारा पीटा जिजसे उसकी हडडी टूट गई। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०स० की धारा ३२५के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

तृतीयः-यह कि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा फुलमती के पति राजपाल को गंदी गंदी गालिया देकर अपमानित किया। इस प्रकार से आप लोगो ने धारा ५०४ भा०द०स० के अनर्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

मैं एतदद्वारा अपको निर्देश देता हूं। कि उक्त आरोपो मे आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनांकः-१७/११/१६

उक्त आरोप अभियुक्त को पडकर सुनाया व समझाया गया।जिसे अभियुक्त ने इनकार किया तथा विचारण की मागं की ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनंक-१७/११/१६